

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 110/2025 (GCMS: 2025/118)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी फरसेवाला तहसील
पदमपुर हाल सेतिया फार्म मैन रोड दुकान मोबाईल नम्बर 97728-00978

20.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि
श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को
सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने
धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि
दिनांक 27.12.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच
हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सेतिया फार्म मेर रोड श्रीगंगानगर
पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशन उपस्थित
मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 32 लीटर पेट्रोल
मय प्लास्टिक कैंनी एवं प्लास्टिक की कीप पाई गयी। जिसे श्री राजेन्द्र कुमार
ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से
लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं। मौके पर
कृष्णलाल द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति
/ अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।
राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान
करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और
अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 04 का स्पष्ट उल्लंघन
करने के कारण, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 32 लीटर
पेट्रोल मय बोटल, 01 प्लास्टिक कैंनी एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने
की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार का जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर उसने
जवाब दिया है कि वह एक कृषक है तथा गांव फरसेवाला, पदमपुर में चक 3 ई
ई ए में कृषि कार्य करता है तथा उसे आए दिन कृषि कार्य के लिए, मोटरसाईकिल



आदि के लिए पेट्रोल की जरूरत रहती है। वह पेट्रोल का बेचान नहीं करता है। फिर भी न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा, उसकी वह पालना करेगा। इसलिए प्रार्थी ने नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.12.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार की दुकान पर पहुंचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपने जवाब में असत्य कथन अंकित किये हैं और किसी प्रकार का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अप्रार्थी को दुकान से बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उससे जब्तशुदा पेट्रोल राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 04 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 32 लीटर पेट्रोल मय बोताल, 01 प्लास्टिक कैंनी, 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैंने, अप्रार्थी के जवाब, विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ ने दिनांक 27.12.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु सेतिया फार्म मेन रोड श्रीगंगानगर पर अप्रार्थी की दुकान पर पहुंचे तो मौके पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशन दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर जब्तशुदा 32 लीटर पेट्रोल मय बोताल, 01 प्लास्टिक कैंनी, 02 प्लास्टिक कीप दुकान में पाई गयी, जिसे अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल-पेट्रोल का बेचान सेतिया फार्म मेन रोड, श्रीगंगानगर पर स्थित दुकान में करता है। मौके पर राजेन्द्र कुमार पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए 32 लीटर पेट्रोल मय बोताल, 01 प्लास्टिक कैंनी, 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया। राजेन्द्र कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र

पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, इसलिए 32 लीटर पेट्रोल मय बोताल, 01 प्लास्टिक कैंनी, 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:-

“जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।”

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी “विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 32 लीटर पेट्रोल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के कब्जे से उसकी दुकान में 32 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का कोई वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी “विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग “क” के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के

भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 32 लीटर पेट्रोल "भण्डारण एवं बेचान" करते जब किया गया है, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 32 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 32 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 32 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर